

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,  
सोनभद्र ।

**लोक निर्माण अनुभाग-14**

**लखनऊ: दिनांक- 11 फरवरी, 2019**

विषय-वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83 में जनपद-सोनभद्र के अन्तर्गत एक परियोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर के पत्रांक-862/मी0क्षे0/20 मी0क्षे0/18, दिनांक 28.08.2018 द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-सोनभद्र की एक परियोजना का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त रू0 193.72 लाख (रू0 एक करोड़ तिरान्वे लाख बहत्तर हजार मात्र) की धनराशि (जिसमें मूल्यह्रास निधि की 1.5 प्रतिशत, लेबर सेस की एक प्रतिशत, अधिष्ठान व्यय 6.875 प्रतिशत की धनराशि भी सम्मिलित है) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम किस्त के रूप में रू0 38,74,000.00 (रू0 अडतीस लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) से अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परियोजना की कार्यदायी संस्था, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र है। परियोजना का विवरण निम्नवत् है:-

धनराशि (रू0 लाख में)

क्र0सं0	कार्य का नाम/जनपद-सोनभद्र	लम्बाई (कि0मी0 में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2018- 19 में आवंटन
1	2	3	4	5
1	बैरियाखाड़ी सम्पर्क मार्ग पर 8 सेल गुणे 5 एम0 गुणे 5 एम0मी0 आर0सी0सी0 बाक्स लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण ।	00.30	193.72	38.74
	<b>योग-</b>	<b>00.30</b>	<b>193.72</b>	<b>38.74</b>

2- यह धनराशि केवल उक्त परियोजना पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 3- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का होगा।
- 4- परियोजना का क्रियान्वयन निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-
- (1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
  - (2) कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होगी तथा विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय।
  - (3) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक/डाक घर/पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखी जायेगी।
  - (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
  - (5) प्रश्नगत कार्य जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।
  - (6) विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
  - (7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दिनांक 25-01-2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।
  - (8) विभाग द्वारा मूल्यह्रास आरक्षित निधि के अन्तर्गत 1.5 प्रतिशत की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा की जायेगी।
  - (9) एक प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
  - (10) आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (11) पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) नियमानुसार यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (13) स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2019 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा परियोजना में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- (14) परियोजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था फार्म-42 आई पर उपभोग प्रमाण-पत्र अपने मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।
- (15) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगे, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।
- 5- उपर्युक्त परियोजना के समयबद्ध एवं गुणात्मक क्रियान्वयन के लिए सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।
- 6- जनपद-सोनभद्र के उक्त एक कार्य हेतु प्रथम किस्त के रूप में धनराशि ₹0 38,74,000.00 (₹0 अड़तीस लाख चौहत्तर हजार मात्र) स्वीकृत की जा रही है।
- 7- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक पूँजीलेखा-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-02-पिछड़े क्षेत्र-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-पूर्वाचल की विशेष योजनायें-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 8- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-8-298/दस-8-2019, दिनांक- 04 फरवरी, 2019 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याय)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**संख्या-58/2019/128(1)/23-14-2019-तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र०, प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।
- 3- आयुक्त, विन्ध्यांचल मण्डल, मीरजापुर ।
- 4- जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, सोनभद्र ।
- 5- विशेष कार्याधिकारी, मा० उप मुख्य मंत्री व मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
- 6- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 8- मुख्य अभियन्ता, मीरजापुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर ।
- 9- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र ।
- 10- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।
- 11- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)

उप सचिव।